[2020] 10 एस. सी. आर 393

विनय शर्मा

वी.

भारत और अन्य का संघ

(लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 का सं. 65)

14 फरवरी, 2020

[आर. भानुमति, अशोक भूषण और

ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

भारत का संविधानः Art.72-भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली याचिका लिखें और मांग करें अन्य बातों के साथ-साथ गैर-के आधार पर मृत्युदंड का लघुकरण

आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत करना, गैर प्रासंगिक सामग्री, यातना, मानसिक बीमारी, अवैध एकांत कारावास पर विचार-आयोजितः यू/आर्ट द्वारा दायर रिट याचिका में। 32 राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए यू/आर्ट पारित किया गया। 72 , इसका दायरा बहुत सीमित है और न्यायालय से जांच करने के लिए कहा जाता हैः - कहाँ

आदेश बिना दिमाग के लागू किए पारित किया गया है; जहां आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक पर पारित किया गया है विचार; कि प्रासंगिक सामग्री को विचार से बाहर रखा जाता है और आदेश मनमानेपन से ग्रस्त होता है-तत्काल मामले में, मामले के रिकॉर्ड, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, मामले के रिकॉर्ड की क्लीन कॉपी, मामले की नॉमिनल रोल

याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता की चिकित्सा रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था-उपराज्यपाल द्वारा सिफारिश

और दया याचिका खारिज करने के लिए गृह मंत्री के बाद किया गया था

फाइल को देखना और इसलिए उनकी ओर से दिमाग का उपयोग न करने की याचिका मान्य नहीं है-दया याचिका के साथ सभी दस्तावेजों को मामले की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लिया गया था।

याचिकाकर्ता को उपचार और उसकी नवीनतम रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था-जेल में याचिकाकर्ता की कथित पीड़ा यू/Art.72 के तहत पारित कार्यकारी आदेश की न्यायिक समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकती है-जब सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण, अवलोकन पर नोट और दया याचिका के साथ रखे गए विभिन्न दस्तावेजों में से, दया याचिका को अस्वीकार करने का निर्णय लिया, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण ने दस्तावेजों पर अपना दिमाग नहीं लगाया था-दया याचिका को आगे बढ़ाते समय,

याचिकाकर्ता की सामाजिक जांच रिपोर्ट जिसमें आर्थिक

[2020] 10 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिवार की शर्तों को भी संलग्न किया गया था-जेल प्राधिकरण के हलफनामे से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में नहीं रखा गया था, बल्कि उसे सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया था v अपने लाभ के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी।

राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए नोट में सभी विवरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

राष्ट्रपति के समक्ष सामग्री रखी गई और उस पर विचार करने पर, दया याचिका खारिज कर दी गई-याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज करने वाले आदेश की न्यायिक समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं है।

बनाया गया था-लिखित याचिका खारिज-प्रशासनिक कानून-जू

समीक्षा करें।

मारू राम बनाम। भारत संघ और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी.

107 पीछा किया। -

सुनील बत्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन और अन्य (1978) 4 एससीसी 494 [1979] 1 एससीआर 392; शत्रुघ्न चौहान

और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2014) 3 एससीसी 1: [2014] 1 एस. सी. आर. 609; देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर

वी. राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2013) 6 एस. सी. सी. 195: [2013] 6

एस. सी. आर. 676; सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 एससीसी

170 : [2000] 3 एस. सी. आर. 858; विकास चटर्जी बनाम। संघ का

भारत और अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 634; एपुरु सुधाकर

और एक अन्य वी। सरकार. ए. पी. और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 161 : [2006] 7 पूरक। एस. सी. आर. 81; नारायण दत्त और

अन्य बनाम। पंजाब राज्य और दूसरा (2011) 4 एस. सी. सी.

353 : [2011] 4 एस. सी. आर. 983-निर्भर

मुकेश और एक अन्य वी। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य

(2017) 6 एससीसी 1-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

(2017) 6 एससीसी 1

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 392

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2014] 1 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2013] 6 एससीआर 676

उस पर भरोसा करें

पैरा 10

[2000] 3 एससीआर 858

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

(2004) 7 एस. सी. सी. 634

उस पर भरोसा करें

पैरा 11 विनय शर्मा बनाम। भारत और अन्य का संघ

[2006] 7 पूरक। एससीआर 81

उस पर भरोसा करें

पैरा

12

[2011] 4 एससीआर 983

उस पर भरोसा करें

पैरा

25

(1981) 1 एससीसी 107

पीछा किया।

पैरा

31

(2004) 7 एस. सी. सी. 634

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

आपराधिक मूल

न्यायनिर्णयः

लेख

न याचिका

(आपराधिक) 2020 की सं. 65।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

डॉ. ए. पी. सिंह, वी. पी. सिंह, सुश्री गीता चौहान, सुश्री ऋचा सिंह,

सुश्री प्रतिमा रानी, सदाशिव, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., चिराग एम. श्रॉफ, कानू अग्रवाल, सुश्री स्वाति

घिल्डियाल, बी. वी. बलराम दास, सुश्री सीमा कुशवाहा, सुश्री याशिका वर्मा, सुश्री अभिलाषा भारती, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश दिया गया था

आर. भानुमति, जे.

1. यह रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

याचिकाकर्ता विनय शर्मा द्वारा भारत का संविधान-एक मौत की सजा का दोषी। याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है और अन्य आधारों के साथ-साथ उसकी मौत की सजा को कम करने की मांग की हैः - ((i) आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत न करना; (ii) प्रासंगिक सामग्री पर विचार न करना।

सामग्री; (iii) यातना; (iv) मानसिक बीमारी; (v) प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा अप्रासंगिक सामग्री पर विचार; और (vi) अवैध एकांत कारावास।

2. याचिकाकर्ता निर्भया के मामले में मौत की सजा का दोषी है जो

16/17.12.2012 की रात को दिल्ली में चलती बस में पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। निचली अदालत ने 2013 के एस. सी. आई. डी. 1 में अपने फैसले में याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों को धारा 120-बी, 365,366 के साथ धारा 120-बी आई. पी. सी., 307 के साथ धारा 120-बी आई. पी. सी., 376 (2) (जी), 377 के साथ धारा 120-बी आई. पी. सी., 302 के साथ धारा 120-बी आई. पी. सी., 395,397 के साथ धारा 120-बी. के तहत दोषी ठहराया। आई. पी. सी., 201 को आई. पी. सी. की धारा 120-बी और आई. पी. सी. 412 के साथ पढ़ा जाता है। निचली अदालत ने याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों को दिनांक 1 के आदेश द्वारा मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त की दोषसिद्धि और उन पर लगाए गए मृत्युदंड की भी पुष्टि की। मृत्युदंड देने के लिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने विस्तृत [2020] 10 एस. सी. आर. दर्ज किया है।

यह तर्क देते हुए कि यह घटना वीभत्स थी और "दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी में आती है। उच्चतम न्यायालय ने मुकेश और अन्य बनाम में अपने दिनांकित 05.05.2017 निर्णय द्वारा। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य (2017) 6 एस. सी. सी. 1 ने दोषसिद्धि और मृत्युदंड की पुष्टि की और याचिकाकर्ता और अन्य सह अभियुक्तों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने और विस्तृत तर्कों के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई विस्तार करने वाली या कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं थीं। पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुली अदालत में विस्तार से सुनवाई की गई और उसी पर विचार किया गया और 09.07.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. 07.01.2020 पर, विद्वान सत्र न्यायालय, पटियाला हाउस ने 22.01.2020 पर याचिकाकर्ता को फांसी देने के लिए एक निष्पादन वारंट जारी किया। उस पर

08.01.2020 , याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सुधारात्मक याचिका दायर की और उसे 14.01.2020 पर खारिज कर दिया गया। सह-अभियुक्त मुकेश की दया याचिका खारिज होने के बाद, सत्र न्यायालय ने उसके लिए एक नया वारंट जारी किया।

निष्पादन निर्देश देता है कि याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को 01.02.2020 पर फांसी दी जाए। 10.01.2020 पर, याचिकाकर्ता के वकील ने मांग की

अधीक्षक से दस्तावेज और दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने 29.01.2020 पर भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका को प्राथमिकता दी। भारत के राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी

01.02.2020 और यही बात याचिकाकर्ता को तिहाड़ केंद्रीय जेल में 01.02.2020 पर सूचित की गई थी।

4. 31.01.2020 पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मृत्यु वारंट के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश पारित किया। भारत संघ द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 05.02.2020 के आदेश द्वारा किया गया है। इस रिट याचिका में चुनौती भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका की अस्वीकृति है।

01.02.2020 पर संविधान।

तर्कः

5. याचिकाकर्ता विनय शर्मा की ओर से पेश हुए विद्वान वकील डॉ. ए. पी. सिंह ने उनकी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी। भारत के राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल और गृह मंत्री ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि संबंधित सामग्री

मामले के अभिलेखों की तरह, याचिकाकर्ता की सही चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता की नाममात्र सूची को भारत के राष्ट्रपति और संबंधित अधिकारियों विनय शर्मा बनाम के समक्ष नहीं रखा गया था।

और इन दस्तावेजों को विचार से बाहर रखा गया था और केवल अप्रासंगिक सामग्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई थी जो विद्वान वकील के अनुसार, दया याचिका की अस्वीकृति के आदेश को दूषित करती है। डॉ. ए. पी. सिंह के अनुसार, उन्होंने उत्तरदाताओं के अधिकारियों से संपर्क किया कि

भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय, उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय और गृह विभाग, सरकार। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिल्ली के एन. सी. टी. ने याचिकाकर्ता की दया याचिका की अस्वीकृति से संबंधित रिकॉर्ड के लिए अनुरोध करते हुए आर. टी. आई. आवेदन दायर किया; हालाँकि, उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उनके आवेदन का कोई जवाब दिया गया है। हालांकि, विद्वान वकील ने कहा कि उन्हें संबंधित फाइल को पढ़ने की अनुमति दी गई थी। विद्वान वकील के अनुसार, अभिलेखों तक पहुंच के बिना, याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है और वह अपनी दया याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है। 6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का आगे यह तर्क है कि याचिकाकर्ता विनय शर्मा की उम्र केवल 19 वर्ष थी और वह आदतन नहीं है

अपराधी और समाज के निम्न वर्ग से है और इन पहलुओं पर केवल एक संपूर्ण सामाजिक जांच रिपोर्ट द्वारा विचार किया जा सकता था जिसे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखा गया था।

7. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अंदर रखा गया था

एकान्त कारावास तब भी जब उनकी दया याचिका भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लंबित थी और इस तरह का अवैध कारावास अनुचित था और सुनील बत्रा बनाम का उल्लंघन था। दिल्ली प्रशासन और अन्य (1978) 4 एस. सी. सी. 494 और यह मौत की सजा को कम करने का आधार बन जाता है। यह भी आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता को जेल में न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया और कई दिनों तक याचिकाकर्ता विनय शर्मा को चिकित्सा उपचार और मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए भी भेजा गया। यह विद्वान वकील का दावा है कि

याचिकाकर्ता मनोवैज्ञानिक दवा पर है और समायोजन विकार का पता चला है और दिल्ली जेल नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता को मानसिक बीमारी के लिए और चिकित्सा रिकॉर्ड के आधार पर उचित देखभाल और उपचार प्रदान किया जाना चाहिए था। विद्वान वकील का यह दावा है कि चिकित्सा बीमारी और मानसिक बीमारी वाले कैदियों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के संदर्भ में फांसी नहीं दी जा सकती है जैसा कि शत्रुघ्न चौहान और एक अन्य v में संदर्भित है। भारत संघ और अन्य (2014) 3 एस. सी. सी. 1 और अन्य संघ संधियाँ।

8. उपरोक्त दलीलों का विरोध करते हुए, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया है कि सभी प्रासंगिक सामग्री [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित अधिकारियों के समक्ष और दया याचिका को अदालत के मामलों के विवरण, मामले के रिकॉर्ड, चिकित्सा रिकॉर्ड, सामाजिक जांच रिपोर्ट सहित उन सभी दस्तावेजों के साथ भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि संबंधित दस्तावेजों के साथ दया याचिका गृह मंत्रालय को प्राप्त हुई थी जिन्होंने पढ़ा है और उपयुक्त नोट फाइल के साथ, उसके बाद दस्तावेजों को एक विस्तृत नोट फाइल के साथ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया। जहाँ तक याचिकाकर्ता की कथित चिकित्सा बीमारी/मानसिक बीमारी का सवाल है, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता नियमित रूप से

जाँच की गई और केंद्रीय जेल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित था और उसकी सामान्य स्थिति स्थिर है और याचिकाकर्ता की चिकित्सा रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई है। तिहाड़ जेल के महानिदेशक (कारागार) द्वारा दायर हलफनामे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को कभी भी एकांत में नहीं रखा गया था

कारावास और लोहे की सलाखों के साथ एक कमरे में रखा गया था और याचिकाकर्ता को बीच-बीच में अन्य कैदियों के साथ मिलाया गया था। विद्वान वकील जनरल ने प्रस्तुत किया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह की गई दलीलें इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित समीक्षा के आधार के भीतर नहीं आएंगी और रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

9. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी दया याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है।

अन्य बातों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति ने विभिन्न आधारों पर कहा कि दया याचिका पर विचार करने के तय किए गए सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और प्रासंगिक सामग्री को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखा गया है।

10. संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, स्थगित करने, विराम देने या कम करने या निलंबित करने की शक्ति होगी। संविधान के अनुच्छेद 72 (1) (सी) के अनुसार, उन मामलों में परिवर्तन की शक्ति शामिल है जहां सजा मौत की सजा है। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्य की कार्यकारी शक्ति वाले मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को राहत देने की राज्यपाल की समान शक्ति है। के तहत दायर याचिकाओं का निपटारा

संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 में विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपराध की प्रकृति, जिस तरह से अपराध किया जाता है वह विनय शर्मा बनाम है।

प्रतिबद्ध और समाज पर इसके प्रभाव और इस प्रक्रिया में लगने वाले समय को देरी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि देवेंद्र पाल में हुआ था

सिंह भुल्लर बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2013) 6 एस. सी. सी. 195 कि अनुच्छेद 72 और 161 के तहत दायर दया याचिकाओं का निपटारा

भारत के संविधान में विभिन्न कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। 11. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका की अस्वीकृति की न्यायिक समीक्षा के आधारों पर सतपाल बनाम में विचार किया गया है।

हरियाणा राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 170 और विकास चटर्जी बनाम में संविधान पीठ का निर्णय। भारत संघ और अन्य (2004) 7 एस. सी. सी. 634 और शत्रुघ्न चौहान। विभिन्न का उल्लेख करने के बाद

निर्णयों में, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल की शक्ति पर विचार किया और कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल में निहित शक्ति एक संवैधानिक कर्तव्य है, शत्रुघ्न चौहान में, यह था

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 14. अनुच्छेद 72 और 161 दोनों में लोगों की शक्ति का उल्लेख है।

उच्चतम गणमान्य व्यक्ति अर्थात, यथास्थिति, किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल और दोनों अनुच्छेदों में से किसी में भी सीमा के शब्द नहीं बताए गए हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, क्रमशः अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य और इस अभ्यास की नए सिरे से जांच कर सकते हैं।

उपयुक्त मामले अर्थात विशिष्ट, निरपेक्ष और इसके संदर्भ में निरंकुश प्रकृति।

.....

19. संक्षेप में, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्ति

और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल एक है

संवैधानिक कर्तव्य। नतीजतन, यह न तो अनुग्रह की बात है और न ही विशेषाधिकार की बात है, बल्कि सर्वोच्च प्राधिकारी लोगों द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है। क्षमा की शक्ति अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी कार्रवाई है, जिसका उपयोग न्याय की सहायता के लिए किया जाना चाहिए न कि इसकी अवज्ञा में। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय है कि [2020] 10 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत के संविधान का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना है।

12. कई निर्णयों में, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत कार्यकारी आदेश

संविधान सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए। डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) में 2020 का डी No.3334-सह-अभियुक्त मुकेश कुमार द्वारा दायर इसी तरह की याचिका, हमने कई निर्णयों का उल्लेख किया है जो विस्तृत रूप से दिए गए हैं।

राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया गया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक याचिका पर। डब्ल्यू. पी. (सी. आर. एल.) में निर्दिष्ट उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। 2020 का डी No.3334। एपुरू सुधाकर और एक अन्य वी का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त है। सरकार. ए. पी. और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 161 और शत्रुघ्न चौहान। एपुरू सुधाकर में, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न आधारों का उल्लेख किया है, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 34. अतः यह स्थिति निर्विवाद है कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161, जैसा भी मामला हो, के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है और उनके आदेश कर सकते हैं।

निम्नलिखित आधारों पर आरोपित किया जाए:

(क) कि आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया है;

(ख) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(घ) कि प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है; (ई) कि आदेश मनमानेपन से ग्रस्त है।

35. विद्वानों द्वारा दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया

न्यायमित्र; एक क्षमा/छूट देने के आदेश में कारणों को इंगित करने की वांछनीयता से संबंधित है जबकि दूसरा वापस लेने की शक्ति से संबंधित एक समान रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था।

क्षमा/छूट देने का आदेश, यदि बाद में, सामग्री

यह दिखाने के लिए रखा गया है कि कुछ प्रासंगिक सामग्री नहीं थी

व्यापक मूल्य की कुछ सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया था। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए, जिसके अभाव में न्यायिक समीक्षा का अभ्यास प्रभावित होगा। विनय शर्मा बनाम।

13. शत्रुघ्न चौहान में, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 72 61 के तहत राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के अधिकार पर विचार किया और कहा कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है।

निम्नानुसारः

उच्चतम गणमान्य व्यक्ति अर्थात किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, और सीमा के कोई शब्द इंगित नहीं हैं। दोनों लेखों में से किसी एक में। राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, क्रमशः अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, साक्ष्य की नए सिरे से जांच कर सकते हैं और शक्ति का यह प्रयोग स्पष्ट रूप से न्यायपालिका से स्वतंत्र है। इस न्यायालय ने कई उदाहरणों में स्पष्ट किया कि कार्यपालिका 8 अपील की अदालत के रूप में नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति/राज्यपाल की शक्ति प्रदान करने के लिए है।

सजा की माफी अनुग्रह और मानवता का कार्य है। उपयुक्त मामले अर्थात अपनी प्रकृति में विशिष्ट, निरपेक्ष और निरंकुश।

19. संक्षेप में, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्ति

और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल एक है संवैधानिक कर्तव्य। नतीजतन, यह न तो अनुग्रह की बात है और न ही

विशेषाधिकार का मामला है लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है

लोगों द्वारा सर्वोच्च अधिकार में रखा गया। की शक्ति क्षमा अनिवार्य रूप से एक कार्यकारी कार्रवाई है, जिसकी आवश्यकता है

न्याय की सहायता में प्रयोग किया जाता है न कि इसकी अवज्ञा में। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 72/161 के तहत शक्ति

भारत के संविधान का प्रयोग सहायता और सलाह पर किया जाना है

मंत्रिपरिषद "।

14. उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, आइए हम वर्तमान याचिका और याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधारों पर विचार करें। याचिकाकर्ता ने अस्वीकृति के आदेश को चुनौती देने के लिए निम्नलिखित आधार उठाए हैं

दया याचिकाः

((i)

अस्वीकृति से संबंधित अभिलेखों की प्रतियां प्रस्तुत न करना

के अधिकार के तहत याचिकाकर्ता की दया याचिका

सूचना अधिनियम, 2005;

((ख)

प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया था;

(iii)

हिरासत में रहते हुए यातना और परिणामी बीमारी और मानसिक

याचिकाकर्ता की बीमारी और सामग्री न रखना

याचिकाकर्ता की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित; [2020] 10 एस. सी. आर.

((iv) अवैध एकांत कारावास; और

(v) पक्षपातपूर्ण आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण दिमाग से पारित किया गया था।

15. री. विषयवस्तुः आर. टी. आई. अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेखः याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क पेश करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने एक

भारत के राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय और गृह विभाग, सरकार के कार्यालय में आवेदन। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत फाइल से कुछ दस्तावेजों की प्रतियां मांगी हैं जो दया याचिका पर विचार के संदर्भ में प्रासंगिक थीं। हालांकि, इसका जवाब नहीं दिया गया है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उन्हें अभिलेखों को पढ़ने की अनुमति दी गई थी और चूंकि प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं, इसलिए उन्हें मूल फाइल को पढ़ने और अदालत में अपनी दलीलें देने की अनुमति दी जानी चाहिए। जहाँ तक याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाई गई शिकायत है कि उसे सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई थीं, हम मामले के उस पहलू का विज्ञापन करना उचित नहीं पाते हैं क्योंकि यह वर्तमान प्रकृति की याचिका में विचार के दायरे से बाहर है।

16. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि इसका दायरा बहुत सीमित है और न्यायालय से इसकी जांच करने का आह्वान किया गया हैः - ((i) जहां आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया है; (ii) जहां आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है; (iii) कि प्रासंगिक सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है; और (iv) आदेश मनमानेपन से ग्रस्त है। 17. जहाँ तक विद्वान वकील के इस तर्क का संबंध है कि फाइल उसे उपलब्ध कराई जाए, हमारी राय है कि ऐसा पाठ्यक्रम भी उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान, हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील के अनुरोध को खारिज कर दिया है कि उसे फाइल को पढ़ने और फिर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से। किसी भी मामले में, हमने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील को पूरी तरह से सुना है और कथित विसंगतियों के संबंध में दलीलें सुनी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि विद्वान वकील द्वारा उस तरीके से देखा गया है जिसमें फाइल को संसाधित किया गया था और विचार के लिए लिया गया है। इस तरह के विवाद पर ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने खुद को संतुष्ट करने के लिए फाइल पर गौर करना उचित समझा कि क्या विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया गया है। तदनुसार, हमारे पास विनय शर्मा बनाम है।

उस पाठ्यक्रम को अपनाया। इस संबंध में, फाइल से विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने दया याचिका के साथ भेजे गए विभिन्न दस्तावेजों/संलग्नकों का उल्लेख किया है।

दया याचिका की प्राप्ति के चरण और विभिन्न चरणों में एक उपयुक्त नोट भेजा गया था और उससे संबंधित फाइल अदालत को उपलब्ध कराई गई थी। हमारे द्वारा किया गया विचार फाइल की सामग्री पर आधारित है। किसी भी स्थिति में, जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की प्रकृति के संबंध में मुद्दा उन निश्चित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होगा जिनके तहत वर्तमान प्रकृति की याचिका पर विचार किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, चूंकि इस न्यायालय ने ऊपर बताए गए अनुसार फाइल की जांच की है, इसलिए याचिकाकर्ता शिकायत नहीं कर सकता है कि दस्तावेजों की प्रति प्रस्तुत नहीं करने के कारण, उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है।

18. री. उल्लेख है कि उपराज्यपाल, दिल्ली और गृह मंत्री, सरकार। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने संबंधित पर हस्ताक्षर नहीं किए फाइलः - याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उन्हें फाइल का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी और इस तरह के निरीक्षण पर, उन्होंने देखा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मंत्री (गृह) ने फाइल का अध्ययन नहीं किया था

और दूसरी ओर, एक अधिकारी द्वारा भेजे गए संदेश पर, उन्होंने दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि फाइल के निरीक्षण पर, विद्वान वकील को पता चला कि संबंधित फाइल पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री (गृह) और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। संबंधित फाइल के अवलोकन पर

19. री. सामग्री-भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रासंगिक सामग्री को न रखना और प्रासंगिक सामग्री ध्यान से बाहर रखा गयाः - शत्रुघ्न पर निर्भरता रखना

चौहान, यह प्रस्तुत किया गया था कि मौत की सजा को कम करने की शक्ति अनुग्रह का कार्य नहीं है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह प्रस्तुत किया गया कि शत्रुघ्न चौहान मामले और अन्य निर्णयों में निर्धारित सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामग्री भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखी गई थी।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20. स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, हमने विद्वान सॉलिसिटर जनरल से सरकार से संबंधित फाइल वाली फाइलों को पेश करने के लिए कहा है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उपराज्यपाल, दिल्ली के कार्यालय और सरकार से याचिकाकर्ता की दया याचिका को अग्रेषित करने से संबंधित फाइल। एनसीटी का दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजा और भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नोट वाली फाइल रखी। तदनुसार, याचिकाकर्ता से संबंधित तीन फाइलें हमारे सामने पेश की गई हैं जिनका हमने अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता विनय शर्मा ने पहले एक दया याचिका दायर की थी जो राष्ट्रपति सचिवालय को 04.10.2019 पर प्राप्त हुई थी। वह दया याचिका सरकार द्वारा भेजी गई थी। दिल्ली के एन. सी. टी. को घेरों के साथ, जैसा कि दिनांक 02.12.2019 के आवरण पत्र में कहा गया है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उक्त दया याचिका विशेष रूप से वापस ले ली गई थी और याचिकाकर्ता ने 29.01.2020 पर एक और दया याचिका दायर की थी। उक्त दया याचिका सरकार की ओर से भेजी गई थी। दिल्ली के एन. सी. टी. से

गृह मंत्रालय ने 30.01.2020 पर दिनांकित 30.01.2020 आवरण पत्र में बताए गए बाड़ों के साथ। आवरण पत्र से पता चलता है कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष विभिन्न दस्तावेज रखे गए थे

अर्थात्। ((i) सरकार की सिफारिश। याचिकाकर्ता को क्षमादान देने के संबंध में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विवरण; (ii) विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय की सुपाठ्य और साफ-सुथरी प्रति; (iii) पुलिस रिपोर्ट सहित मामले के अभिलेखों की सुपाठ्य और साफ-सुथरी प्रति; (iv) कैदियों की नामवाचक सूची; (v) कैदी की नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट; (vi) आरोपी और मामले के अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में लंबित समीक्षा/उपचारात्मक याचिकाओं का विवरण, यदि कोई हो, वर्तमान के साथ

स्थिति; (vii) कैदी का पिछला आपराधिक इतिहास, यदि कोई हो; (viii) कैदी के परिवार की आर्थिक स्थिति; और (ix) मामले से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज (01.02.2020 पर निष्पादन का आदेश)। 21. भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नोट फाइल रखने से पहले, गृह मंत्रालय ने इस मामले को माननीय राष्ट्रपति के समक्ष रखा था।

केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्रालय, जिन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक बोलने वाले आदेश द्वारा, दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे गए नोट को पढ़कर हमने देखा है कि याचिकाकर्ता की दया याचिका और दया याचिका में उसके द्वारा की गई दलीलों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया था

विचार करें। नोट और अभिलेखों को देखने के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया। दया याचिका और नोट के साथ भेजे गए दस्तावेजों पर ध्यान देते हुए

भारत के राष्ट्रपति के समक्ष गृह मंत्रालय द्वारा, दया विनय शर्मा बनाम।

याचिका खारिज कर दी गई। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि प्रासंगिक सामग्री को भारत के राष्ट्रपति के विचार से बाहर रखा गया था।

22. प्रासंगिक सामग्रियों को न रखना-याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के अनुसार चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट और स्थिति रिपोर्टः

याचिकाकर्ता का और उसे परिवर्त्तन के लिए हकदार बनाना। यह प्रस्तुत किया गया था कि चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट और विभिन्न अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखा गया था और इस प्रकार, प्रासंगिक सामग्री को भारत के राष्ट्रपति के विचार से बाहर रखा गया था। 23. भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के बारे में प्रश्न पर विचार करना और एपुरू का उल्लेख करने के बाद

सुधाकर, शत्रुघ्न चौहान में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24.2 . ..... एपुरू सुधाकर बनाम। ए. पी. राज्य (2006) 8 एस. सी. सी

161 , इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

.....

35. विद्वान न्यायमित्र द्वारा दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया; एक संकेत देने की वांछनीयता से संबंधित।

क्षमा/माफी देने के आदेश में कारण जबकि दूसरा माफी/माफी देने के आदेश को वापस लेने की शक्ति से संबंधित एक समान रूप से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था, यदि बाद में, यह दिखाने के लिए सामग्री रखी जाती है कि कुछ प्रासंगिक सामग्री [2020] 10 एस. सी. आर.

उन पर विचार नहीं किया गया या व्यापक मूल्य की कुछ सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया। विद्वान न्यायमित्र के अनुसार, कारणों का संकेत दिया जाना चाहिए, जिनके अभाव में

न्यायिक समीक्षा का अभ्यास प्रभावित होगा।

103. ..... उदाहरण के लिए, दया याचिका प्राप्त होने पर संबंधित विभाग को सभी रिकॉर्ड/सामग्री मंगानी होती है। विश्वास के साथ जुड़ा हुआ। दोषसिद्धि से जुड़ी सभी सामग्रियों के बजाय टुकड़ों-टुकड़ों में रिकॉर्ड के लिए कॉल करने की निंदा की जानी चाहिए। जब मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, तो गृह मंत्रालय की ओर से यह दायित्व होता है कि वह निचली अदालत, उच्च न्यायालय और अंतिम अदालत के फैसले जैसी सभी सामग्रियों को पेश करे। उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ दोषसिद्धि से जुड़ी कोई अन्य प्रासंगिक सामग्री तुरंत और न ही

दस्तावेज़ टुकड़ों में "।

24. हमारे समक्ष प्रस्तुत फाइल के अवलोकन से, यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा रिपोर्ट उपचार और उसकी नवीनतम रिपोर्ट के साथ

संबंधित व्यक्ति के समक्ष दिनांकित 30.01.2020 की चिकित्सा रिपोर्ट रखी गई थी।

अधिकारी जिन्हें बदले में राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था। जैसा कि दिनांकित दया याचिका के अग्रेषण पत्र में बाड़ों से देखा गया है

30.01.2020 , वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. आकाश नाराडे द्वारा जारी नवीनतम चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट दिनांक 30.01.2020 और अन्य चिकित्सा रिपोर्ट

और याचिकाकर्ता को दिए गए व्यवहार को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है जिसे बदले में राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था

भारत। चिकित्सा स्थिति रिपोर्ट में, डॉ. आकाश नाराडे ने याचिकाकर्ता के उपचार के विवरण का उल्लेख किया है और प्रमाणित किया है कि याचिकाकर्ता मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह से समायोजित है और उसे विशेष चिकित्सक द्वारा नियमित चिकित्सा सत्र प्रदान किए जा रहे हैं और याचिकाकर्ता की सामान्य स्थिति स्थिर है। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि याचिकाकर्ता की चिकित्सा रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष नहीं रखी गई है।

25. जेल में याचिकाकर्ता की कथित पीड़ा अनुच्छेद के तहत पारित कार्यकारी आदेश की न्यायिक समीक्षा का आधार नहीं हो सकती है।

72 भारत के संविधान ने याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया। नारायण दत्त और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2011) 4 एस. सी. सी. 353 और एपुरू सुधाकर में तय कानूनी स्थिति के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल उस पर बताए गए

आधारों पर चुनौती के अधीन है। जब सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी ने नोट और दया याचिका के साथ रखे गए विभिन्न दस्तावेजों को देखने के बाद विनय शर्मा बनाम को निर्णय लिया है।

भारत और अन्य का संघ [आर. भानुमति, जे.]

दया याचिका को अस्वीकार करते हुए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण ने दस्तावेजों पर अपना दिमाग नहीं लगाया था।

26. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया कि याचिकाकर्ता गरीब आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है और

दया याचिका की जांच रिपोर्ट को दया याचिका के साथ नहीं भेजा गया है। इस विवाद का फिर से कोई बल नहीं है। जैसा कि दया याचिका के साथ भेजी गई बाड़ों की सूची से देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति को संलग्नक "एच" के रूप में संलग्न किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने इससे पहले अक्टूबर, 2019 में एक दया याचिका दायर की थी और कहा था कि दया याचिका दायर करने वाले से संलग्नक के साथ अग्रेषित की गई थी।

एन. सी. टी. दिल्ली से गृह मंत्रालय को 02.12.2019 पर। जबकि

उक्त दया याचिका को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता के परिवार की आर्थिक स्थितियों वाली सामाजिक जांच रिपोर्ट को संलग्नक के रूप में संलग्न किया गया था। दया याचिका दिनांक 30.01.2020 को अग्रेषित करते समय, याचिकाकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य विवरणों वाली उक्त सामाजिक जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2019 को फिर से अग्रेषित किया गया। इस तर्क में कोई दम नहीं है कि सामाजिक जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए नहीं रखा गया था और संबंधित सामग्री को राष्ट्रपति के विचार से बाहर रखा गया था।

एकान्त कारावासः

27. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से अलग किया गया था और पहले एकांत कारावास में रखा गया था सुनील में निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए उसकी दया याचिका को अस्वीकार करने के लिए

बत्रा। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "एक व्यक्ति मौत की सजा के तहत है" केवल तब जब भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज कर दी जाती है और आगे के आवेदन पर,

अधिकारियों द्वारा निष्पादन पर कोई रोक नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को अस्वीकार करने से पहले एकांत कारावास असंवैधानिक है।

28. याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें एक साल की अवधि के लिए एकांत कारावास में रखा गया है। हालाँकि उत्तरदाताओं द्वारा इस तर्क का खंडन किया गया है। तिहाड़ जेल के महानिदेशक (जेल) द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से याचिकाकर्ता को एक वार्ड में रखा गया था जिसमें कई कमरे थे और

बैरक। यह आगे कहा गया है कि उस सीमित अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता [2020] 10 एस. सी. आर.

उसे एक कमरे में रखा जाता था और इस अवधि के दौरान जब भी सभी कैदी बाहर आते थे, याचिकाकर्ता-दोषी भी बाहर आ जाता था। यह कहा गया है कि जिस एकल कमरे में याचिकाकर्ता को रखा गया था, उसमें लोहे की छड़ें खुली थीं और इसे एकांत कारावास के बराबर नहीं माना जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता को बाहर आने और अन्य कैदियों के साथ मिलने की अनुमति दी गई थी

अन्य कैदियों की तरह दैनिक आधार पर नियमित अंतराल पर। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को एक ही कमरे में रखा जाए।

सुरक्षा कारणों या दोषी के हित में अन्य कारणों से सीमित अवधि और रुक-रुक कर अवधि के लिए था। महानिदेशक (कारागार) द्वारा दायर हलफनामे से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को एकांत कारावास में नहीं रखा गया था, बल्कि उसे सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया था जो याचिकाकर्ता के लाभ के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी था। महानिदेशक द्वारा दायर हलफनामे में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए

(जेल), याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसे सुनील बत्रा के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए एकांत कारावास में रखा गया है, स्वीकृति के योग्य नहीं है और यह याचिकाकर्ता की दया याचिका को खारिज करने के आदेश की समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकता है।

विचार के लिए। याचिकाकर्ता ने मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न बयानों का उल्लेख किया है कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए ताकि यह तर्क दिया जा सके कि इस तरह के सार्वजनिक बयानों का प्रभाव दिल्ली के मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल या केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई "सहायता और सलाह" पर पड़ता है और अस्वीकृति के आदेश को इस प्रकार दूषित किया जाता है - पूर्वाग्रह। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया नोट विस्तृत है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था और उसी पर विचार करने पर दया याचिका खारिज कर दी गई थी। मंत्रियों द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों का दिल्ली के मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल को या उपराज्यपाल की परिषद द्वारा दी गई "सहायता और सलाह" पर कोई असर नहीं है।

राष्ट्रपति तक केंद्र सरकार में मंत्री।

30. याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुधारात्मक याचिका दायर की और उसे 14.01.2020 पर खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने दया याचिका दायर की विनय शर्मा बनाम।

29.01.2020 पर याचिका और उसी को दिल्ली के NCT द्वारा 30.01.2020 पर गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 01.02.2020 पर दया याचिका को खारिज कर दिया और वही था 01.02.2020 पर तिहाड़ केंद्रीय जेल में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया। जैसा कि पहले बताया गया है, मामले के रिकॉर्ड, निचली अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, मामले के रिकॉर्ड की क्लीन कॉपी, याचिकाकर्ता की नॉमिनल रोल, याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट, सामाजिक जांच रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को गृह मंत्रालय को भेजा गया था। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया नोट विस्तृत है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया था और उसी पर विचार करने पर दया याचिका खारिज कर दी गई थी।

31. जैसा कि संविधान पीठ ने मारू राम बनाम में अभिनिर्धारित किया है। भारत संघ और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 107 और विकास चटर्जी को संदर्भित किया गया

(2004) 7 एस. सी. सी. 634, न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि जहां शक्ति किसी बहुत उच्च प्राधिकारी में निहित है, यह माना जाना चाहिए कि उक्त प्राधिकारी मामले के सभी पहलुओं पर वस्तुनिष्ठ विचार के बाद सावधानीपूर्वक कार्य करेगा।

32. परिणामस्वरूप, हम याचिकाकर्ता के आदेश को अस्वीकार करने वाले भारत के राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा के अभ्यास के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं।

दया याचिका और यह रिट याचिका खारिज की जा सकती है। द रिट

तदनुसार याचिका खारिज कर दी जाती है। देविका गुजराल

लिखित

याचिका खारिज कर दी गई।